16/03/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रकरण में कई बार आवाजें लगवाई गयी। वादकर्ता आवाज लगाने वकील वादी मय्या फरियादी में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया। इस कार्यवाही प्रकरण अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत सिंह)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

न्यायालय सहायक कलेक्टर
खण्डेला जिला
वादपत्र संख्या.....
1. बाबूलाल आयु 45 वर्ष पुत्र स्व
निवासी रामचंदपुरा तहसील खण्

बनाम्

1. महेश पुत्र श्री प्रेमचन्द आयु
2. दिनेश पुत्र श्री प्रेमचन्द आ
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री प्रेमच
4. रामचन्द्र पुत्र श्री गोपाल
जाति जांगिड़ निवासीगण
सीकर राजस्थान
5. भूमिधारी राजस्थान
सीकर राजस्थान
6. जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री
तहसील खण्डेला

वादपत्र

अन्त

श्रीमान् जी,

वा

Scanned with CamScanner